



हे रघुवीर अब तो करो इंसाफ!!!!

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में स्थित चित्रकूट योजना के भूखंड संख्या बी-1/565, स्वामीनारायण चौक
का मामला;

करोड़ो की आवासीय जमीन फोकट मे लेने के बाद सादुलपुर कोंग्रेसी विधायक कृष्णा पुनिया
ने खोली चाय-काँफी की दुकान!!!

इससे भी पेट नहीं भरा तो सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गुमटी!!!

जेडीए की कारस्तानी जिस भूखंड को नीलामी कर करोड़ो रुपए कमाने थे, उसे कांग्रेसी विधायक कृष्णा पूनिया को फोकट में दिया।

गत वर्ष सचिन पायलट द्वारा मचाए गए सियासी गदर का लाभ लगभग हर उस कांग्रेसी विधायक ने उठाया है जिसने मौजूदा सरकार को समर्थन दिया था। इन सब विधायकों में अब्बल रही सादुलपुर से मौजूदा विधायक कृष्णा पुनिया, जिन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए जमीन पर हाथ डालना उचित समझा। जमीन भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी जमीन, जिसको करोड़ों में नीलाम करने का जेडीए सपने देख रहा था।

यह मामला राजनीति में कैसे अपने चहेतों को उपकृत किया जाता है इसका जीता-जागता उदाहरण है। इस मामले में जेडीए द्वारा ना केवल सादुलपुर से कांग्रेसी विधायक और मंत्री बनने का सपना देख रही कृष्णा पुनिया को जयपुर के चित्रकूट योजना में नियम विरुद्ध करोड़ों रुपयों का आवासीय भूखंड फोकट में आवंटित कर दिया बल्कि इससे भी कई कदम आगे जाकर विधायक महोदया ने फोकट में मिले इस आवासीय भूखंड पर रहने की बजाय चाय-काँफी की दुकान खोल ली है। विधायक महोदया की दबंगई यहीं खत्म नहीं होती वह इस भूखंड के सामने स्थित फुटपाथ की जमीन पर कब्जा कर एक गुमटी और बना रही है। जेडीए का हाल यह है विधायक के रुतबे के कारण वह इस भूखंड के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दे रहा।

मार्च 2019 में रखी गयी थी इस प्लॉट की नीलामी, दो करोड़ बीस लाख पचास हजार रुपये था आरक्षित मूल्य

जे.डी.ए. द्वारा भूखंड संख्या बी-1/565 चित्रकूट योजना की नीलामी ई ऑक्शन के माध्यम से निकाली जानी थी, नीलामी के समय इस भूखंड का आरक्षित मूल्य दो करोड़ बीस लाख पचास हजार रुपये तय किया गया था। परन्तु फिर ना जाने क्या हुआ कि जे.डी.ए. द्वारा इस नीलामी को निरस्त कर इसे कांग्रेस विधायक श्रीमति कृष्णा पुनिया को निशुल्क आवंटित कर दिया।

जे.डी.ए. द्वारा तय की गयी आरक्षित दर

ID/Title	: [1176] / e-Auction of Residential Plot No.-B-1/565 (Corner), Chitrakoot Scheme Sectors-1, Jaipur (Rajasthan)/JDA/OSD(RM)/D-328		
Auction Reference No	: JDA/OSD(RM)/D-328	Auction Reference Dispatch Date	: 04-Mar-2020 12:00 AM
Property Details			
Scheme Name	: CHITRAKOOT	Property Number	: B-1/565 (Corner)
Property Id	: RJJDA1/1187/0001H	Developer Type	: Cooperative
Zone	: Zone 10	Area	: 220.50 Square Meter
Developer Name	: HATHROI GADI GNSS	Property Type	: Plot
Usage Type	: Residential		
Bid/Auction Details			
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,20,50,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)			
Bid Start Price (BSP) (INR)	: 1,00,000.00 [Per Square Meter]	Minimum Bid Increment value (INR)	: 50.00 [Per Square Meter]
Reserve Price (INR) (For Lease/UA Calculation Only)	: 16,000.00	Press/Portal Release Date	: 04-Mar-2020 12:00 AM
EMD Deposit Start	: 04-Mar-2020 05:15 PM	Auction Start Date	: 04-Mar-2020 05:15 PM
EMD Deposit End	: 24-Mar-2020 11:00 AM	Auction End Date	: 18-Mar-2020 04:37 PM

नीलामी से पहले प्रवर्तन शाखा द्वारा बाकायदा अभियान चला कर, इस भूखंड पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाया भी गया था। जिसका श्रेय सिंघम कहलाये जाने वाले जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय द्वारा लिया गया था। परन्तु उन्हें क्या मालुम था कि जिस भूखंड से थडी-ठेले वालों को हटाया जा रहा है वह जे.डी.ए. की खाली झोली नहीं भरकर, सत्तारूढ़ पार्टी की बाहुबली विधायक के व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि चढ़ जाएगा।

एक हजार वर्गगज जेडीए भूमि से हटाया अतिक्रमण

By: Vijay Sharma

Published: 15 Mar 2020, 02:20 PM IST

जे.डी.ए. द्वारा गत वर्ष इस भूखंड के अतिक्रमणों को हटाया गया था।



जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए चित्रकूट और वैशाली नगर में जेडीए स्वामित्व की एक हजार वर्गगज भूमि से अतिक्रमण हटवाया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-7 में चित्रकूट के भूखण्ड संख्या बी-1/565 और वैशाली नगर के प्लॉट नं. 2 की करीब एक हजार वर्गगज जेडीए स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण कर थडी-ठेले, टेबल-कुर्सियां और अन्य सामान डालकर कब्जा कर लिया गया था, जिन्हें हटवाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

सीएम की नाराजगी के बाद बढ़ी कार्रवाई

इधर जेडीए में सीएम की नाराजगी के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बढ़ रही है। बीते एक महीने से जेडीए की प्रवर्तन शाखा लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने जेडीए की प्रवर्तन शाखा पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद जेडीए से तीन प्रवर्तन अधिकारियों को कार्यमुक्त कर मुख्यालय में भेज दिया था। इसके बाद जेडीए की प्रवर्तन शाखा में अधिकारियों में भय व्याप्त हो गया। चार और अधिकारियों ने विभाग छोड़ने के लिए आवेदन किया था।



कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

इ-गवर्नेंस सचिवालय, जे.डी.ए. मार्ग, जयपुर- 302004

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2020/डी- 4/24

दिनांक :- 21/8/2020

आवंटन-पत्र | सह मांगपत्र

श्रीमती कृष्णा प्रनियां,
निवासी- 297, कृष्णा निवास,
वार्ड नं. 14, सादुलपुर (राजगढ), चुरू (राज.)।

विषय :- चित्रकूट योजना में स्थित भूखण्ड संख्या बी-1/565 के आवंटन बाबत।
संदर्भ :- संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(227)नविवि/
जयपुर/2015 दिनांक 01.07.2020 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की चित्रकूट योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-1/565 आवंटित किया जाता है। यह आवासीय भूखण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 एवं नगर (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 तथा राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन निम्नांकित शर्तों पर आवंटित किया जाता है।

- | | |
|--|---|
| 1. आवंटित भूखण्ड का साईज- | 8.50+11.50/2 X22.50 = 225.00 - (R) = 220.00 |
| 2. भूखण्ड का क्षेत्रफल- | 220.00 वर्ग मीटर |
| 3. भूखण्ड की आवासीय आरक्षित दर- | 18400/- प्रति वर्ग मी. |
| 4. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आवंटन दर- | नि: शुल्क/- प्रति वर्ग मी. |
| 5. आवासीय भूखण्ड का नजराना- | नि: शुल्क |
| 6. बढ़े हुये एरिया/कम एरिया के पेटे लेय/देय नजराना राशि- | NIL |
| 7. शहरी जमाबन्दी- | 50600/- |
| 1. प्रथम पांच वर्ष के लिए
आरक्षित दर 18400/-का 1.25%X220= 50600/-वार्षिक | |
| 2. पाँच वर्ष पश्चात्
आरक्षित दर 18400/-का 2.50%X220= 101200/-वार्षिक | |
| 3. एक मुश्त लीज राशि- 809600/-
(वार्षिक लीज के स्थान पर वैकल्पिक) | |
| 8. पी.एस.यू.पी. शुल्क- | 5500/- |
| 9. साईट प्लान चार्जज- | 100/- |
| कुल देय/लेय राशि- | 56200/- |
| 10. उक्त भूखण्ड की उपरोक्त राशि आवंटन-पत्र जारी होने के 30 दिवस में आवश्यक रूप से जमा करा देवे। इस 30 दिवस की अवधि के पश्चात् आगे 30 दिवस तक उक्त राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करायी जा सकती है। इसके बाद भी राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। | |

उपायुक्त जोन-7

जे.डी.ए. द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखते हुए दिनांक 21/08/2020 को जारी किया गया निशुल्क आवंटन पत्र

12. उक्त भूखण्ड में विजली व पाना का प्रयोग विजली व जलदाय विभाग से लगवायेंगे।
13. उक्त भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर होगा एवं शहरी जमाबन्दी की राशि आवंटी द्वारा नियमानुसार प्राधिकरण को पृथक से देय होगी जो कि कब्जा पत्र की तिथी से देय होगी। यह आरक्षित दर 18400/- का प्रथम पांच वर्ष के लिए 1.25% = 50600 वार्षिक तथा आरक्षित दर 18400/- का पाँच वर्ष पश्चात् 2.50% = 101200 वार्षिक देय होगी। यदि शहरी जमाबन्दी अग्रिम जमा कराई जाती है तो नियमानुसार छूट यदि कोई है तो तत्समय की दर से देय होगी। जविप्रा को हर 15 वर्ष में शहरी जमाबन्दी की राशि बढ़ने का अधिकार होगा। परन्तु यह वृद्धि प्रत्येक वार 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रति वर्ष लीज राशि मार्च माह में जमा करानी होगी भू-स्वामी शहरी जमाबन्दी के भुगतान से मुक्त होना चाहे तो ऐसा चाहने वाले चालू वर्ष तक की शहरी जमान्दी एवं व्याज की राशि यदि कोई बकाया हो, के साथ-साथ अग्रिम 8वर्षों की शहरी जमाबन्दी दर से जमा कराने पर भू-स्वामी शहरी जमाबन्दी से मुक्त हो सकता है।
14. भूखण्ड का बेचान करने से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण की समस्त बकाया राशि का भुगतान कर "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना होगा तथा प्रत्येक विक्री पर 25 प्रतिशत शहरी जमाबन्दी में वृद्धि की जावेगी।
15. प्राधिकरण को देय राशि सीधे ही आईसीआईसीआई बैंक विस्तार पटल जयपुर विकास प्राधिकरण कैम्पस में जमा कराकर चालान की प्रति इस शाखा को प्रस्तुत करनी होगी।
16. भूखण्ड निर्माण स्वीकृत टाइप डिजाइन के अनुसार होगा।
17. भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में ही लिया जावेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं।
18. भूखण्ड आवंटी का भूखण्ड आवंटन के पाँच साल की अवधि में निर्माण पूरा कराना होगा, अगर आवंटी द्वारा नियत समयावधि में भूखण्ड का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा तथा आवंटी के विषय में आवंटन का पात्र नहीं होगा। साथ ही उसके द्वारा जमा करायी राशि जब्त समझी जावेगी।
19. समस्त नियम एवं शर्तें चित्रकूट योजना की लागू होगी एवं राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

3/6
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. साईट इंजीनियर जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।

आवंटन पत्र की शर्त संख्या 17 में स्पष्ट किया गया है कि " भूखंड केवल आवासीय उपयोग में ही लिया जाएगा,अन्य किसी प्रयोजन में नहीं"


..... JAIPOUR,
SITE PLAN & PERMISSION OF CONSTRUCTION ON RESIDENTIAL PLOT
PLOT NO. B-1/565

SCHEME:- CHITRAKOOT SCHEME (SECTOR-1) JAIPOUR.

LAND OF USE: RESIDENTIAL

PLOT AREA :- 225.00 - 4.5 (R)=220.00 SQ. MTR.

SCALE: -1CM=5.00 MTR



CONSTRUCTION PARAMETERS

(A) SET BACK

1. FRONT- 4.50M.
2. BACK- 3.0M.
3. SIDE-1- 0.00
4. SIDE-2- 4.50M.

(B) MAX. HEIGHT: 8 MTR.

(C) FLOORS: BASEMENT, GROUND FLOOR, FIRST FLOOR

(D) CONSTRUCTION PERIOD: 5 YRS

(E) WITH BASEMENT PLINTH LEVEL 1.2 MTR.

(F) WITHOUT BASEMENT PLINTH LEVEL 0.5 MTR.

(G) OTHER PARAMETERS FOR CONSTRUCTION OF BUILDING WILL BE ACCORDING TO PREVALENT BUILDING, P-11 LAWS

फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही है अवैध गुमटी



SITE ENGINEER
ZONE - 7

@
ATP/DTP
ZONE - 7

DY. COMMISSIONER
JAIPOUR
ZONE - 7

लोक सभा चुनावों में दिये गए हलफनामे के अनुसार पहले भी ले चुकी है निशुल्क जमीने

आपको बता दें कि विधायक कृष्णा पुनिया का यह पहला निशुल्क आवंटित भूखंड नहीं है। लोक सभा चुनाव के समय जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने के समय उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसके अनुसार उनके और उनके पति जो कि रेलवे में सर्विस करते हैं, के पास दो कृषि भूमि सहित छह भूखंड है जिनमें से तीन भूखंड

उनके और उनके पति द्वारा स्वार्जित है जिनके बाजार मूल्य वर्तमान में एक करोड़ बाईस लाख

एवं पचास लाख

रुपये है। इनमें से एक कृषि भूमि जो कि मोहन गढ़ और एक प्लेट जो कि मानसरोवर में है, को सरकार द्वारा वर्ष 2011 में कृष्णा पुनिया को इनकी खेल प्रतिभा के चलते अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का मान बढ़ाने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा निशुल्क आवंटित किया गया था।

अवैध निर्माण की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा जेडीए का प्रवर्तन विभाग।

हमारे द्वारा जब यह मामला जेडीए के प्रवर्तन विभाग के संज्ञान में लाया गया तो ज़ोन कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि मौके पर चल रहे व्यवसायिक निर्माण को रुकवाने के लिए चिन्हिकरण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी के स्तर पर कार्यवाही संभव है। लेकिन प्रवर्तन का हाल देखिये शिकायत के 6 महीने बाद भी ना तो नोटिस जारी किया गया और ना ही ध्वस्त करने की कोई कार्यवाही।



विधि-2 - आवंटित भूमि का मकान या अपार्टमेंट का दस्तावेज के अभाव में भूखण्ड का सर्वे किया जा सकता है।
विधि-3 - जमीनी में अपार्टमेंट अडिवासी का स्वामित्व का प्रमाण प्रदान करने के लिए सर्वेक्षणित भूमि काटिए।

क्र. सं.	विवरण	रकबा	पति	निशुल्क आवंटित भूखण्ड	आवधिक-1	आवधिक-2	आवधिक-3
(i)	दो कृषि भूमि जो अपार्टमेंट (अपार्टमेंट सहित) संरक्षण संस्था (संरक्षण) में है।	154/54 मेहरगढ़	संगत नहीं	कत. 130, 129, 182, 213, 254 का 1/72	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	शेड (संगत में कुल रकबा)	14.50	संगत नहीं	0.4 एकड़	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	अपार्टमेंट में अपार्टमेंट संरक्षण के लिए या नहीं	नहीं	संगत नहीं	हाँ	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	स्वामित्व संपत्ति जो दस्ता में कम की जा सकती है	25.05.11	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	किसी भी समय भूमि को उपभोग (अपार्टमेंट दस्ता में)	निशुल्क आवंटित	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	विकास, सौभाग्य आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियमन	संगत नहीं	संगत नहीं	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	22,96,800	-NIL-	50,000	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं

(ii)	दो कृषि भूमि अपार्टमेंट (अपार्टमेंट सहित) संरक्षण संस्था (संरक्षण) में है।	संगत नहीं	को-1 नुई नगर, जयपुर में 4एच प 42, मोहन नगर, जयपुर	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	शेड (संगत में कुल रकबा)	संगत नहीं	3900, 5000	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	अपार्टमेंट में अपार्टमेंट संरक्षण के लिए या नहीं	संगत नहीं	नहीं, नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	स्वामित्व संपत्ति जो दस्ता में कम की जा सकती है	संगत नहीं	28.07.97, 08.10.97	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	किसी भी समय भूमि को उपभोग (अपार्टमेंट दस्ता में)	संगत नहीं	43,455, 1,00,000	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	विकास, सौभाग्य आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियमन	संगत नहीं	5,000, 10,000	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	संगत नहीं	20 लाख, 30 लाख	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
(iii)	वर्धमान संरक्षण (अपार्टमेंट सहित) अपार्टमेंट (अपार्टमेंट सहित) संरक्षण संस्था (संरक्षण) में है।	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	शेड (संगत में कुल रकबा)	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	निर्मित शेड (संगत में कुल रकबा)	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	अपार्टमेंट में अपार्टमेंट संरक्षण के लिए या नहीं	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	स्वामित्व संपत्ति जो दस्ता में कम की जा सकती है	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	किसी भी समय भूमि को उपभोग (अपार्टमेंट दस्ता में)	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	विकास, सौभाग्य आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियमन	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अपार्टमेंट (अपार्टमेंट सहित) संरक्षण संस्था (संरक्षण) में है।	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
	शेड (संगत में कुल रकबा)	1800, 1790	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं

	निर्मित शेड (संगत में कुल रकबा)	1800, 900	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	अपार्टमेंट में अपार्टमेंट संरक्षण के लिए या नहीं	नहीं, नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	स्वामित्व संपत्ति जो दस्ता में कम की जा सकती है	27.10.18, 14.06.11	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	किसी भी समय भूमि को उपभोग (अपार्टमेंट दस्ता में)	5,80,000, निशुल्क आवंटित	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	विकास, सौभाग्य आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियमन	50 लाख, मिल	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	60 लाख, 40 लाख	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं	संगत नहीं
(v)	अपार्टमेंट सहित संरक्षण	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं
(vi)	प्राथमिक श्रेणी के अपार्टमेंट	1 कतार 22 जख	50 लाख	50,000/-	-NIL-	संगत नहीं	संगत नहीं

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौनसी निति/योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा यह भूखंड कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को आवंटित किया गया?
2. जिस भूखंड की नीलामी से जे.डी.ए. करोड़ों रुपये कमा सकती थी आखिर क्यों उसे कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को निशुल्क देना पड़ा? इस राजस्व की हानि के जिम्मेदार जे.डी.ए. के कौन-कौन अधिकारी है? आखिर क्यों जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका विरोध नहीं किया?
3. यदि कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया की तरह राज्य के सभी 200 विधायक अपनी मनमर्जी से राजधानी जयपुर की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने लगे तो फिर जे.डी.ए. की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन होगा?
4. आखिर क्यों कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया सत्ता का दुरुपयोग कर, अपनी मनमानी करते हुए इस आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण करवा रही है?
5. आखिर क्यों कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया सत्ता का दुरुपयोग कर, फुटपाथ की जमीन पर कब्जा कर गुमटी बना रही है?
6. आखिर क्यों कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया यह समझती है कि कानून उनकी जेब में है?
7. क्या कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया की यह दादागिरी राजस्थान पुलिस के सिंघम और जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय श्री रघुवीर सैनी के सामने भी चलेगी? क्या जे.डी.ए. ज़ोन-7 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध निर्माण के विरुद्ध धारा 32 का नोटिस देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे या फिर विधायक महोदय का आशीर्वाद लेकर वापस आ जायेंगे?
8. नगरीय विकास विभाग का दिनांक 01/07/2020 का वह कौनसा पत्रांक था जिसके आधार पर तत्कालीन ज़ोन-7 के उपायुक्त आबु सूफियाँ द्वारा इस भूखंड को फोकट में कांग्रेस विधायक को दिया गया?
9. चलिये मान भी लिया जाये कि किसी भूखंड के आवंटन के मामले में जेडीए की प्रवर्तन शाखा का कोई लेना-देना नहीं है परंतु क्या वह आवासीय भूखंड में बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करवाने और फुटपाथ की जमीन पर कब्जा हटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है?